न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :- रिया केजरीवाल ,आई.ए.एस.

राजस्व अपील सं0- 29/2019

सूरजनाथ पुत्र लाधूनाथ सिद्व निवासी ग्राम बम्बलू तहसील व जिला बीकानेर

प्रार्थी......

-:बनाम:-

1. ओमप्रकाश पुत्र चन्दूलाल माली निवासी व्यास कॉलोनी बीकानेर
2. किशनचन्द पुत्र चन्दूलाल माली निवासी अलख सागर रोड़ कोयला गली बीकानेर
3. अमित पुत्र सुन्दरलाल माली निवासी अलख सागर रोड़ कोयला गली बीकानेर
4. विमला देवी पत्नी स्व. गौरीशंकर माली निवासी अलख सागर रोड़ कोयला गली बीकानेर
5. प्रेम कुमार 6. सुरज कुमार 7. कल्पना पुत्र व पुत्रिया स्व. गौरीशंकर माली निवासी अलख सागर रोड़ कोयला गली बीकानेर
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व बीकानेर

....अप्रार्थीगण ...

<u>अपील अंतर्गत धारा 251 (क) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट</u>

उपस्थिति अभिभाशक:-

1. श्री बहादुरराम सुथार , अभिभाशक प्रार्थी।
2. श्री राधाकिशन स्वामी, अभिभाषक अप्रार्थीगण सं.1 ता 5 व 7
3. पैरोकारराज

-:निर्णय:-

दिनांक-20/03/2020

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 251 क के अधीन प्रस्तुत किया गया। जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि वाके ग्राम चक 486-250 आरडी पटवार हल्का हुसंगसर के मुरबा न153/4 के किला न.4 ता 7, 14 ता 16 तादादी 7 बीघा कमाण्ड मय खाला व मुरबा न. 153/11 के किला न. 22 व 23 में 1 बीघा 12 बिस्वा अनकमाण्ड व मुरबा न. 153/12 के किला न. 1 ता 3, 9 ता 12,20 व 21 तादादी 5 बीघा 14 बिस्वा अनकमाण्ड कुल तादादी 14 बीघा 6 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला स्थित

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned with CamScanner

है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता नही है, इसलिए प्रार्थी अपने उक्त खेत में आने जाने के लिए मुरबा न.153/3 व 153/59 के दक्षिणी तरफ स्थित किला न. 21 ता 25 में से नया रास्ता कायम करवाना चाहता है। उक्त मुरबा नम्बर के पश्चिमी दिशा में एन.एच. 15 निकलती है। जो प्रार्थी के खेत के सबसे नजदीक है। अप्रार्थी सं.1 ता 3 ओमप्रकाश ,किशनचन्द पिसरान चन्दूलाल बहिब 2/3 हिकृअमित पुत्र सुन्दरलाल 1/3 हि. कोम माली का चक 486–250 आरडी के मुरबा न. 153/3 किला न. 21,22,23 व मुरबा न. 153/59 के किला न. 24 व 25 है। जिसमें से दक्षिणी सीव से 2 बिस्वा चौड़ा 5 बीघा लम्बा रास्ता कायम किया जाना है तो तादादी 10 बिस्वा बनती है। यानी 16.5 फुट 825 फुट 13612.5 वर्गफुट, 1264.63 वर्गमीटर रास्ता स्वीकृत हेतु। अप्रार्थी सं.4 ता 7 के चक 486–250 आरडी मुरबा न. 153/59 के लि न. 21,22,23 है। जिसके दक्षिणी सीवं से 2 बिस्वा चौड़ा 3 बीघा लम्बा तादादी 6 बिस्वा बनती है। यानी 16.5 फुट 495 फुट = 8167.5 वर्गफुट, 758.77 वर्गमीटर रास्ता स्वीकृत हेतु। इस प्रकार अप्रार्थीगण स. 1 ता 7 के मुरबा न. 153/3 के किला न. 21,22,23 व 153/59 के किला न. 21 ता 25 में से की कुल तादादी 16 बिस्वा यानी 21780 वर्गफुट अर्थात 2023.41 वर्गमीटर रास्ता स्वीकृत हेतु प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी के पास अपनी उक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अन्य किसी वैकल्पिक रास्ते का पूर्णतया अभाव है। प्रार्थी को अपने खेत जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, जिससे प्रार्थी अपने खेत में आ जा सके व अपनी फसल काश्त कर सके एवं उपज हुई फसल को बाजार में विक्रय ला सके। अतः राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 251 (क) के तहत नया रास्ता प्रदान किया जावे। प्रार्थी डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि भुगतान करने हेतु रेडी एवं विलिंग है। यह प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गये व तहसील से रिपोर्ट मंगवाई गयी। अप्रार्थीगण 1 ता 5 व 7 की और से श्री राधाकिशन स्वामी उपस्थित व जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार पैरा संख्या 1 ता 6 अस्वीकार किये तथा 7 ता 9 में अवगत कराया की वास्तविक स्थित यह कि प्रार्थी का अना खेत में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है। उक्त प्रार्थना पत्र द्वारा प्रार्थी अप्रार्थीगण के खेत में रास्ता निकलवाकर येन केन प्रकरण अप्रार्थीगण की भूमि खरीदने पर आमदा है। कानूनन

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

हां पूर्व में रास्ता उपलब्ध हो वहां धारा 251 (क) के प्रावधान लागू नहीं होत है। प्रार्थी न्यायालय में स्वच्छ विचारों से नहीं आया इसलिए किसी प्रकार से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थी का प्रार्थना पत्र महज अप्रार्थीगण को बेजा तंग व परेशान करने की गरज से दायर किया गया है। जो विधि विरुद्ध होने के कारण प्रार्थना पत्र खर्चे खारिज फरमाया जावे। प्रकरण में तहसीलदार बीकानेर से रिपोर्ट ली गयी। जिसके अनुसार जमाबन्दी चक 486–250 आरडी के मुरब्बा न. 153/4,153/11,153/12 में 14.06 बीघा रकबा सूरजनाथ पुत्र लाधूनाथ जाति सिद्व के नाम से खातेदार दर्ज है। प्रार्थी के इस खातेदारी खेत में आने–जाने हेतु कटानशुदा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। वर्तमान में प्रार्थी मु.न. 133/59,153/3 के बीच में से बिना कटान रास्ते से आते जाते हैं प्रार्थी सूरजनाथ ने मु.न.133/59 के कि.न. 21 ता 25 व 153/3 के कि.न. 21 ता 24 में 4–4 बिस्वा प्रति किला न. मं रास्ता कटवाने हेतु आवेदन किया है। मुताबिक जमाबंदी चक 486–250 आरडी के मु.न. 133/59 के कि.न. 21 ता 23 विमला पत्नी स्व. गौरीशंकर, प्रेमकुमार, सूरज कुमार, कल्पना पिसरान स्व. गौरीशंकर माली साकिन बीकानेर के नाम से बहिब खातेदार दर्ज है व मु.न. 133/59 के कि.न.24 25 मु.न. 153/3 के कि.न. 21 ता 25 ओमप्रकाश,किशनचन्द पिसरान चन्दूलाल 2/3 हिस्सा अमित पुत्र सुन्दरलाल 1/3 हिस्सा माली साकिन अलखसागर कोयला गली बीकानेर के नाम से खातेदार दर्ज हें उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी सूरजनाथ के खातेदारी खेत में पहुच हेतु सबसे निकटतम रास्ता है। प्रार्थी के उपर्युक्त खेत में पंहुच हेतु मु.न. 133/59 के कि.न. 21 ता 25 व मु.न. 153/3 के कि.न. 21 ता 24 में नियमानुसार रास्ता काटा जाना उचित होगा। इस तथ्यात्मक रिपोर्ट को भिजवाया हैं जवाब व तहसील से रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस सुनी गयी। बहस में प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र को दोहराया व रास्ता की आवश्यकता अत्यधिक बता मंजूरी का आग्रह किया। अप्रार्थीगण के वकील ने जवाब को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थना पत्र ,जवाब, तहसीलदार बीकानेर की रिपोर्ट व बहस पर मनन किया। यह तथ्य स्वीकार है कि प्रार्थी के पास अपनी उक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अन्य किसी वैकल्पिक

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned with CamScanner

रास्ते का पूर्णतया अभाव है। प्रार्थी को अपने खेत जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध

रास्ते का पूर्णतया अभाव है। प्रार्थी को अपने खेत जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, जिससे प्रार्थी अपने खेत में आ जा सके। इसलिए रास्ता चाहने का प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत उपयुक्त है व रास्ता प्राप्त करने की प्रार्थी सभी शर्ते पुर्ण करता है। इसलिए तहसील बीकानेर के चक 486–250 आरडी के मु.न. 133/59 के कि.न. 21 ता 25 व मु.न. 153/3 के कि.न. 21 ता 23 में 16 फूट चौड़ा रास्ता मंजूर किया जाता है। यह रास्ता सार्वजनिक होगा तथा सभी के लिए खुला रहेगा। प्रार्थीगण इसके बदले इस रास्ते मे आने वाली भूमि की डी.एल.सी. की दुगनी राशि तहसील कार्यालय बीकानेर मे जमा करायेगा। तहसीलदार बीकानेर यह राशि अप्रार्थी को भुगतान करेगा। तहसीलदार बीकानेर राशि जमा होने पर राजस्व रिकार्ड मे सार्वजनिक रास्ते के रूप मे ईन्द्राज करेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार बीकानेर को पालानार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20-3-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रिया केजरीवाल)
आईएएस
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Riya Kejriwal
Date: 2020.04.20 15:07:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: